चित्रकूट-पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 39 लीटर कच्ची व 36 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र लल्लूराम निवासी मवई कलां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सत्यकिशोर नाई पुत्र रामखिलावन निवासी रानीपुर थाना कमासिन जनपद बांदा को 19 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ग). चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र चुनवाद निवासी हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 19 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(घ).उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोट्टन प्रजापति पुत्र भगवानदीन निवासी लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 05 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(क). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य द्वारा अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र पप्पू पटेल निवासी बरगढ़ मोड़ मजरा कोनिया 2. अंकेश शुक्ल उर्फ छोटू पुत्र सालिगराज शुक्ल निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ख). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1.रमेश पुत्र मुन्ना 2.रणधीर सिंह पुत्र लालमन 3.फूलचन्द्र पुत्र रामखेलावन निवासीगण गढ़चपा 4.धनपत पुत्र गयादीन निवासी पोखला मजरा गढ़चपा 5.लालमन पुत्र चुन्नीलाल निवासी रम्पुरिया मजरा सरैंया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी क कार्यवाही की गयी।

(3). आज दिनाँक 03.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता देखकर सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, तत्पश्चात बैरिक, आवासीय परिसर, परिवहन शाखा का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। क्वार्टर गार्द में जाकर सलामी ली गयी तथा स्टैण्ड-टू की कार्यवाही की गयी, तत्पश्चात आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियो का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक 03.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा कानपुर कमिश्नरेट में दिनाँक 04.05.2024 को कानपुर माननीय प्रधामंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के कार्यक्रम के दृष्टिगत ट्रान्सपोर्टरों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में समस्त ट्रान्सपोर्टर्स को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम के दृष्टिगत कानपुर

जाने वाले तथा कानपुर होकर आगे जाने वाले मालवाहक वाहनों को रोका जाये तथा आगरा, दिल्ली जाने वाले वाहन एक्सप्रेस-वे होकर ही जा सकते हैं।

इस दौरान पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य एवं पैरोकार आरक्षी धनेश कुमार मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2023 धारा 302,504,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त धर्मराज पुत्र समरजीत आदिवासी 2.समरजीत पुत्र स्व0 रामजतन आदिवासी 3. सरोज देवी पत्नी समरजीत आदिवासी निवासीगण कड़इया पुरवा मजरा हरदी कलां थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 02.05.2023 को वादी श्री हेतलाल पुत्र स्व0 सुखराम आदिवासी निवासी कड़इया पुरवा मजरा हरदी कलां थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी गई थी की अभियुक्तगण धर्मराज, समरजीत एवं सरोजा देवी द्वारा उनके भतीजे रामकैलाश कोल की हसुआ से गला काटकर उनकी मृत्यु कर दी है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 40/2023 धारा 302,504,34 भादवि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालनी प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा की गई। विवेचक द्वारा घटना के दूसरे दिन दिनाँक 02.05.2024 को अभियुक्त धर्मजीत व अभियुक्ता सरोज देवी को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 04.05.2024 को अभियुक्त समरजीत उपरोक्त को गिरफ्तार किय गया। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 20.07.024 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत एनसीआर नं0 73/2018 धारा 323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.अश्वनी पुत्र रामहित 2. संतोष पुत्र गज्जू निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती कलावती राजपूत पत्नी रामखिलाड़ी निवासी देवंधा पहाड़ी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति रामखिलाड़ी पुत्र हल्कू उर्फ मुखिया निवासी राजनगर थाना जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के विरुद्ध लड़ाई-झगड़ा, मारपीट व दहेज के लिये प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न

करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव

3.महिल आरक्षी अनामिका सिंह

(8). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने खोये हुये मोबाइल को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.03.2024 को आवेदक श्री कैलाश चन्द्र शुक्ला पुत्र देवराज शुक्ला निवासी वार्ड नं0 18 द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में CEIR पोर्टल पर शिकायत की थी। कोतवाली कर्वी को मोबाइल की लोकेश प्राप्त हुयी जिसमें थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटल नरेन्द्र कुमार द्वारा मौके पर जाकर मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामी श्री कैलाश चन्द्र शुक्ला उपरोक्त के सुपुर्द किया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया।

<u>सुपुर्दगी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2.कम्प्यूटर ऑपरेटर नरेन्द्र कुमार

(10). आज दिनांक 03.05.2024 को सामान्य लोकसभा चुनाव पुलिस प्रेक्षक महोदय श्री जॉय विश्वास द्वारा सर्किट हाउस कर्वी में जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी श्री उमेशचन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के साथ चुनाव के दृष्टिगत गोष्ठी की गई। गोष्ठी में चुनाव संबंधी तैयारियों की पूर्ण जानकारी ली गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात पुलिस प्रेक्षक महोदय द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के साथ राष्ट्रीय रामायण मेला स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान क्षेत्राधिकार नगर श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।